रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 1973/फाल्गुन 8, 1894

No. 73] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 1973/PHALGUNA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th February 1973

S.O. 111(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1973.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, Schedule I, Part 'B', the following entry shall be made after item No. 107:—

"108—Wollastonite".

[No. E(C)01968/AM(92).]

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मन्त्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 फरवरी 1973

एस० ओ० 111(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1973 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 अनुसूची 1 भाग 'बी' में मद संख्या 107 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाए :—

"108—क्लेस्टनाइट "

[संख्या ई० (सी) ओ 1968/एएम (92)]

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973